

राजस्थान सरकार  
निदेशालय समेकित बाल विकास रोवाएं

क्रमांक: एफ.1(6)( )स्था/NTI/ICDS/18/124003

जयपुर,दिनांक: 5-7-18

संशोधित-आदेश

1 विभाग द्वारा जारी किए गये आदेश क्रमांक 119645 दिनांक 02.07.2018 में लिपिकीय त्रुटि सुधार करते हुए क्रम संख्या 6 में कालम संख्या 2 में सुरमती बाई के स्थान पर सुमरती बाई रावत एवं कालम संख्या 7 में किशनगढबास के स्थान पर कोटकासिम, क्रम संख्या 17 के कालम संख्या 7 में उमरैण के स्थान पर कटूमर, क्रम संख्या 105 पर कालम सं. 7 में दूदू के स्थान पर दूदू-11, क्रम संख्या 108 के कालम 4 में ओसियां-11 के स्थान ओसियां, क्रम संख्या 112 के कालम संख्या 7 में दूदू के स्थान पर दूदू-11, क्रम संख्या 114 के कालम सं0 5 में चित्तौडगढ के स्थान पर उदयपुर, क्रम संख्या 120 के कालम संख्या 4 में लाडपुरा के स्थान पर सांगोद, क्रम संख्या 34 के कालम सं0 4 में मनोहरथाना के स्थान पर झालरापाटन, क्रम संख्या 37 के कालम संख्या 7 में बांदीकुई के स्थान पर बांदीकुई-11 एवं क्रम संख्या 44 के कालम सं0 3 चेचट के स्थान पर भोलू प्रतिस्थापित किया जाता है।

इसके अतिरिक्त आदेश के क्रम संख्या 83, 110 व 132 को विलोपित किया जाता है।

2 विभाग द्वारा जारी किए गये आदेश क्रमांक 120132 दिनांक 02.07.2018 में लिपिकीय त्रुटि सुधार करते हुए क्रम संख्या 11 के कालम संख्या 6 में राणासर कलां के स्थान पर मेघवालों की ढाणी, ग्रा पं राणासर कलां, क्रम संख्या 22 के कालम संख्या 7 में गोपालपुरा उलेडा तालेडा के स्थान पर घोडेला, क्रम संख्या 32 के कालम सं. 8 में नागौर के स्थान पर जयपुर, क्रम संख्या 55 के कालम 7 में टोंक ग्रामीण के स्थान टोडारायसिंह, प्रतिस्थापित किया जाता है।

इसके अतिरिक्त आदेश के क्रम संख्या 26, 31 व 34 को विलोपित किया जाता है।

3 विभाग द्वारा जारी किए गये आदेश क्रमांक 119846 दिनांक 02.07.2018 में लिपिकीय त्रुटि सुधार करते हुए क्रम संख्या 5 के कालम संख्या 4 में पोकरण के स्थान पर जैसलमेर, क्रम संख्या 18 के कालम संख्या 3 में राज0रा0उ0प्रा0वि0 59 एफ तह0 श्रीकरणपुर श्रीगंगानगर के स्थान पर 59 एलएनपी-11 व कालम नं 4 में पदमपुर, क्रम संख्या 22 के कालम सं. 7 में धौंद के स्थान पर लक्ष्मणगढ, क्रम संख्या 28 के कालम 3 में केएनएम-द्वितीय घडसाना के स्थान पर 1 केएनएम-11 तथा कालम 7 में सीकर के स्थान श्रीमाधोपुर प्रतिस्थापित किया जाता है।

उपनिदेशक (प्रशासन)  
समेकित बाल विकास रोवाएं  
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक: एफ.1(6)( )स्था/NTT/ICDS/18/124004-110 जयपुर,दिनांक: 5-7-18  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 विशिष्ट सहायक, माननीया राज्य मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज., जयपुर।
- 2 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज., जयपुर।
- 3 निजी सचिव, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, राज., जयपुर।
- 4 संबंधित उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, \_\_\_\_\_।
- 5 संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी, \_\_\_\_\_।
- 6 संबंधित, पूर्व प्रा0 शि0 अ0, द्वारा बा0वि0परि0अधि0, \_\_\_\_\_।
- 7 व्यक्तिगत पत्रावली।
- 8 आदेश पत्रावली।

उपनिदेशक (प्रशासन)  
समेकित बाल विकास सेवाएं  
राजस्थान जयपुर।